ऑन लाईन नं. GCMS2022/278

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 38/2022

1. अजायब सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी बी–7 अम्बिका इन्कलेव पदमपुर रोड, श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. मनजीत सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी 19 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत 18 जैड।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत 18 जैड का जिसकी रूह से पैतृक प्लाट ग्राम 19 जैड 100X100 फुट का पट्टा गैरनिगरानीकर्ता संख्या– 2 द्वारा जारी किया गया उसे निरस्त किया जावे।

उपस्थित :–

1. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री जसकरण सिंह औलख अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता

:: आदेश :: दिनांकः 28.06.2024

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ''

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता के पिता दलीप सिंह पुत्र चनण सिंह के नाम गांव 19 जैड में पांच प्लाट थे जिसमें 100X100 फुट की जगह निगरानीकर्ता के हिस्सा में आयी थी। गैर निगरानीकर्ता द्वारा तमाम तथ्यों को छिपाते हुए 100X100 फुट का पट्टा गलत तथ्य प्रस्तुत करके अपने नाम से जारी करवा लिया। उसमें से 60X100 फुट जगह को आगे बेचान कर दिया। अब निगरानीकर्ता के हिस्से में जो प्लाट 100X100 फुट लम्बा चौड़ा था जो दलीप सिंह के पास था, दलीप सिंह के मरने के बाद वह प्लाट निगरानीकर्ता के हिस्सा में आया था। मगर गैर निगरानीकर्ता द्वारा छल व कपट करके अपने नाम करवा लिया। जिसकी जानकारी निगरानीकर्ता को हुई तथा गैर निगरानीकर्ता जबरन निर्माण करने लगा जिस पर निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत 18 जैड को दिनांक 10.10.2022 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर प्रार्थी ने तमाम सबूत पेश किए इससे पूर्व निगरानीकर्ता ने एक प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया जो दिनांक 20.09.2022 का है। विकास अधिकारी श्री गंगानगर ने इस प्रार्थना पत्र पर दिनांक 27.09.2022 को ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत 18 जैड को लिखा हुआ है। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही की तो पता

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

चला कि गैर निगरानीकर्ता ने धोखे से पट्टा जारी करवा रखा है, इस बात का पता चलते ही निगरानीकर्ता इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर रहा है जो निम्न बिन्दुओं के आधार पर पेश है :–

1.यह है कि निगरानीकर्ता के पिता के नाम गांव 19 जैड में पांच प्लाट थे जिसने अपने जीवनकाल में ही प्लाट अपने लड़कों को बांट दिए थे। चारों प्लाटों में से 1/3 हिस्सा निगरानीकर्ता का बनता था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने बिला रूकावट देखे ही बिना किसी आधार पर रेस्पोडेण्ट के नाम पट्टा जारी कर दिया था जबकि पैतृक सम्पति का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता था।

2.यह कि गैर निगरानीकर्ता का इस प्लाट पर कब्जा नहीं था। जब उसका इस प्लाट पर कब्जा ही नहीं था तो कानूनन उसका इस प्लाट पर कोई अधिकार नहीं बनता था। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा न तो कमेटी का गठन किया गया, ना ही कमेटी की कोई रिपोर्ट ली गई। ना ही मीटिंग में लिया गया, बिना प्रस्ताव पास किए ही आदेश पारित कर दिए जबकि उनके समक्ष यह तथ्य सामने था कि दलीप सिंह का निगरानीकर्ता लड़का है तथा उसके प्लाट हिस्से में आया हुआ है लेकिन इसके बावजूद भी बिना किसी आधार पर पट्टा जारी किया गया।

3.यह कि गैर निगरानीकर्ता पूर्व में भी अपने पट्टा जारी करवा चुका था तो इस प्लाट को किसी भी तरीके से पाने का अधिकारी नहीं था। यह तथ्य भी रिकार्ड में मौजूदा था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर ना करके कानूनी भूल की है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।

4.यह कि निगरानी जनाबवाला के क्षेत्राधिकार में है तथा निगरानी अन्दर मियाद है क्योंकि निगरानी में कोई मियाद नहीं होती।

5.यह कि अन्य वजुवात बरवक्त बहस पेश किए जाएंगे।

6.यह कि निगरानी जनाबवाला के क्षेत्राधिकार में है तथा निगरानी अन्दर मियाद है क्योंकि निगरानी में कोई मियाद नहीं होती।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जावे तथा ग्राम पंचायत का पट्टा खारिज किया जावे।

निगरानी से सबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि :–

संक्षेप में मामल इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता के पिता दलीप सिंह पुत्र श्री चाण सिंह गांव 19 जैड का पुराना रहने वाला था उसके पास 5 प्लाट थे। उसके तीन लड़के थे अजायब सिंह, मनजीत सिंह, कुलवन्त सिंह। उन 5 प्लाटों में सभी मिलकर रहते थे। निगरानीकर्ता के पिता का स्वर्गवास दिनांक 08.10.1964 को हो गया था उपरोक्त प्लाटों में निगरानीकर्ता का 1/3 हिस्सा बनता है मगर निगरानीकर्ता के पास कोई प्लाट नहीं है क्योंकि उस समय निगरानीकर्ता अध्ययन करता था जबकि निगरानीकर्ता का 5 प्लाटों में 1/3 हिस्सा बनता था। अभी तक यह प्लाट मुश्तरका तौर पर थे। अप्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उपरोक्त प्लाट पर मेरा 50 साल से अधिक कब्जा है कब्जे के आधार पर प्लाट मेरे नाम ही किया जावे जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा एक

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

कमेटी गठन की। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद दिनांक 21.08.2018 को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके गैरनिगरानीकर्ता के नाम पट्टा जारी करने का आदेश दिया जबकि गैर निगरानीकर्ता का कोई 50 वर्ष से कब्जा नहीं था जबकि वह नौकरी करता था। गलत तथ्यों के आधार पर चुपचाप पट्टा अपने नाम जारी करवा लिया जिस पर अब निर्माण करने लगा तो प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 01.11.2022 को एसएचओ मटीली राठान को प्रस्तुत किया कि उपरोक्त प्लाट हमारा पैतृक है। पैतृक होने के नाते हमारा भी अधिकार है तथा इसी प्लाट में से बाकी कुछ हिस्सा यानिकि 60X100 फुट अप्रार्थी ने पहले अपने पास कब्जे में है तथा बकाया 40X100 फुट जगह का हकदार निगरानीकर्ता है तथा उस पर उसे निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए तुरन्त निर्माण रोका जावे जिस पर एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा सरपच को भी प्रस्तुत कर दिया जिस पर सरपच द्वारा जांच की तो सरपंच द्वारा जांच में यह पाया है कि मनजीत सिंह ने धोखा से 100X27 फुट का अपने नाम पुराना कब्जा के आधार पर पट्टा जारी करवा लिया जबकि उसका उपरोक्त जगह पर कोई पुराना कब्जा नहीं था जबकि पट्टा जारी करने के बाद जबरदस्ती निर्माण करने लगा तो निगरानीकर्ता को जानकारी हुई। जानकारी होने के बाद निगरानीकर्ता ने जनाबवाला के समक्ष निगरानी निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तुत की है।

1. यह कि विवादग्रस्त भूखण्ड निगरानीकर्ता के पिता के पास था निगरानीकर्ता के स्वर्गवास के बाद उसके वारिसान का हक बनता है तथा उपरोक्त प्लाट का कानूनन पट्टा नया जारी नहीं किया जा सकता बल्कि उसके उत्तराधिकारियों के नाम पंचायत रिकार्ड में दर्ज किया जा सकता है मगर ग्राम पंचायत द्वारा बिना विधि प्रक्रिया अपनाये बिना कब्जा का प्लाट गैर निगरानीकर्ता के नाम पट्टा जारी करके भूल की है।

2. यह कि रिकार्ड से यह बात साबित है कि विवादग्रस्त प्लाट दलीप सिंह का है उस प्लाट पर दलीप सिंह के वारिसान का हक व हिस्सा है जिसमें निगरानीकर्ता का भी उसके पिता के प्लाट में 1/3 हिस्सा बनता है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व दलीप सिंह के वारिसान को सुना जाना चाहिए था मगर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ने बिना सुने ही पट्टा जारी करके कानूनी भूल की है।

3. यह कि ग्राम पंचायत द्वारा जो कमेटी गठन की थी वह भी मौके पर नहीं गयी और ना ही उनके द्वारा निगरानीकर्ता को बुलाया गया है। बिना बुलाए ही उनके द्वारा रिपोर्ट की गई है जो कानून के विपरीत होने के कारण निरस्त करने योग्य है।

4. यह कि गैर निगरानीकर्ता का इस प्लाट पर 50 वर्ष का कब्जा नहीं रहा बल्कि गैरनिगरानीकर्ता सरकारी नौकरी करता था तथा बाहर रहता था अब करीब 4–5 साल से सेवानिवृत हुआ है। सेवानिवृत होने के बाद जो निगरानीकर्ता का पिता के द्वारा 60X100 फुट जगह दी गयी थी उसमें निवास कर रहा है शेष जगह पर उसका कभी कब्जा नहीं रहा जब इसका मौके पर कब्जा ही नहीं रहा तो इसके नाम कानूनन पट्टा जारी नहीं किया जा सकता।

5. यह कि उपरोक्त प्लाट निगरानीकर्ता के पिता का है तथा पिता के मरने के बाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सभी मृतक के उत्तराधिकारी है उनके

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज किया जा सकता है लेकिन अलग पट्टा जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए भी जो पट्टा जारी किया गया है विधिविरूद्ध होने के कारण खारिज करने योग्य है।

6.यह कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें भी यह बात साबित होती है कि छलकपट करके गैरनिगरानीकर्ता ने गलत तथ्य प्रस्तुत करके पट्टा जारी करवाया है जो निरस्त करने योग्य है।

7.यह कि निगरानीकर्ता के पिता के 5 प्लाट थे उसके मरने के बाद प्रत्येक प्लाट पर प्रार्थी का 1/3 हिस्सा बनता है जो निगरानीकर्ता प्राप्त करने का अधिकारी है जबकि गैरनिगरानीकर्ता को पूर्व में भी अधिक हिस्सा प्राप्त कर चुका है। कानूनन वह अपने नाम पट्टा जारी करवाने का कोई अधिकारी नहीं है क्योंकि पिता की सम्पति में सभी लड़कों का बराबर–बराबर अधिकार है इसलिए प्रार्थी को निगरानी करने का अधिकार है।

8.यह कि गैर सायल के नाम पट्टा जारी करने से पूर्व निगरानीकर्ता को कोई सूचना नहीं दी गई इसलिए निगरानीकर्ता को पट्टा जारी करने की जानकारी पूर्व में नहीं थी जब गैरनिगरानीकर्ता इस पर निर्माण करने लगा तो निगरानीकर्ता ने पंचायत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो निगरानीकर्ता को पट्टा जारी होने की जानकारी हुई। जानकारी होते ही निगरानीकर्ता ने निगरानी प्रस्तुत की है जो अन्दर मियाद है हालांकि कानून में निगरानी करने की कोई मियाद नहीं होती इसलिए निगरानी अन्दर मियाद है।

लिहाजा लिखित बहस पेश करके अर्ज है कि निगरानी स्वीकार की जावे व अधिनस्थ न्यायालय का पट्टा नंबर–50 दिनांक 05.09.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

गैर निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि :–

1.यह कि निगरानी की चरण संख्या–1 के उत्तर में निवेदन है कि निगरानीकर्ता द्वारा अपने पिता के नाम से चक 19 जैड में पांच प्लाट होना बताया है जिसमें 100X100 फुट की जगह निगरानीकर्ता के हिस्से में आई होना बताई गई है जिसमें से गैरनिगरानीकर्ता द्वारा 100X60 का पट्टा अपने नाम से जारी करवाकर आगे बेचान होना बताया गया है, निगरानीकर्ता द्वारा उक्त समस्त तथ्य असत्य एवं निराधार प्रस्तुत किए गए हैं जबकि वास्तविक तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी निगरानीकर्ता के पिता के नाम से चक 19 जैड में पांच प्लाट थे जिनका पारिवारिक बंटवारा कर दिया गया था जिसका निगरानीकर्ता द्वारा अपने हिस्से में आये प्लाटों का आगे बेचान कर दिया गया और बेचान करने के बाद निगरानीकर्ता श्रीगंगानगर में 146–ए, मुखर्जी नगर में अपना मकान लेकर निवास करने लगा। अब वर्तमान में निगरानीकर्ता के नाम से चक 19 जैड में ना तो कोई प्लाट है और ना ही कोई कृषि भुमि है। निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में अपने पिता के नाम से पांच प्लाट होना अंकित किया है जिसमें ना तो प्लाटों का नंबर अंकित किया है और ना ही प्लाटों का आसा–पासा अंकित किया है। निगरानीकर्ता के नाम से चक 19 जैड में ना तो किसी प्रकार से कोई प्लाट थे और ना ही कृषि भूमि है क्योंकि निगरानीकर्ता द्वारा पूर्व में अपनी समस्त सम्पति का बेचान कर दिया गया था। निगरानीकर्ता के मन में बदनियती आ जाने के कारण झूठे व

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

मिथ्या तथ्यों के आधार पर निगरानी को आधार बनाये जाने हेतु झूठे व मिथ्या तथ्य अंकित किए गए हैं जिस कारण से निगरानीकर्ता की निगरानी विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

2.यह कि निगरानीकर्ता व गैर निगरानीकर्ता के पिता श्री दलीप सिंह का देहानत दिनांक 08 अक्टूबर 1964 को हो गया था, उस समय गैर निगरानीकर्ता की आयु 6 वर्ष थी औ घर के सारी जिम्मेवारी निगरानीकर्ता के पास ही थी जिन पांच प्लाटों का निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में तथ्य अंकित किए हैं। पारिवारिक बंटवारा होने के बाद निगरानीकर्ता द्वारा उक्त पांच प्लाटों में से अपना 1/3 हिस्सा का बेचान करके श्रीगंगानगर में निवास करने लगा। वर्तमान में उसके पास कोई प्लाट नहीं है। गैर निगरानीकर्ता द्वारा जो अपने नाम से पट्टे बनवाए गए हैं वह अपने हिस्से में आये भूखण्ड का ही पट्टा बनवाया गया है।

3.यह कि निगरानीकर्ता व गैर निगरानीकर्ता के पिता की मृत्यु के पश्चात जो भी जमीन व प्लाट अजायब सिंह के हिस्से में आये थे उनको धीरे धीरे निगरानीकर्ता द्वारा बेच दिया गया, अब निगरानीकर्ता की कोई जमीन व प्लाट चक 19 जैड में नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा अपनी जमीन चक 19 जैड मं स्थित 14 बीघा 2 बिस्वा कृषि भूमि का बेचान दिनांक 17.08.1983 को जीत सिंह पुत्र श्री चनन सिंह को कर दिया गया था जिसका निगरानीकर्ता द्वारा बैयनामा खरीददार जीत सिंह के पक्ष में ना करवाये जाने के कारण उक्त कृषि भूमि के खरीददार जीत सिंह द्वारा निगरानीकर्ता अजायब सिंह के विरूद्ध एक वाद पत्र माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 17.08.2000 को खरीददार के पक्ष में वाद निर्णित कर निगरानीकर्ता के विरूद्ध डिक्री पारित की गई। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में अपील प्रस्तुत कर दी गई जो कि वर्तमान में विचाराधीन है।

4.यह कि उक्त कृषि भूमि का बेचान करने के पश्चात् निगरानीकर्ता द्वारा उक्त कृषि भूमि पर बैंक से ऋण लिया गया जिसके कारण निगरानीकर्ता के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण संख्या 60/201010 दिनांक 05.06.2010 को अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 व 120बी आईपीसी के अन्तर्गत पुलिस थाना मटीलीराठान में दर्ज किया गया जो कि आज भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसकी आगामी तारीख पेशी 07.03.2023 नियत है।

5.यह कि निगरानीकर्ता द्वारा पारिवारिक बंटवारा अनुसार अपने हिस्से में आये प्लाट व कृषि भूमि का बेचान पूर्व में ही कर दिया गया था। निगरानीकर्ता चक 19 जैड में निवास नहीं करता है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानीकर्ता की निगरानी सव्यय निरस्त फरमाई जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिलेख का सूक्ष्म परीक्षण किया। कानूनी प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष के निगरानीधीन पट्टे का ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड के आलोक में अध्ययन किया। निगरानीकर्ता अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि मेरे पिता दलीप सिंह के पास गांव 19 जैड में 5 प्लाट थे, जिसे गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि मेरे पिता के नाम से ग्राम पंचायत 18 जैड के गांव 19 में 5 प्लाट थे। लेकिन इसरो संबंधित कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

प्रस्तुत नहीं किया गया है। निगरानीकर्ता अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित बहस में विवादाग्रस्त प्लाट दलीप सिंह का बताया गया तथा ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं किया कि जिससे यह साबित होता है कि विवादग्रस्त प्लाट दलीप सिंह के नाम से ग्राम पंचायत 19 जैड के रिकॉर्ड में कभी दर्ज रहा हो। ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड में पट्टा पत्रावली, पट्टा बही व पंचायत कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि मनजीत सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह को दिनांक 05.09.2018 को जारी पट्टा संख्या 50 बुक संख्या 414 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत कब्जे के आधार पर जो जारी किया हुआ है वह नियम विरूद्व जारी किया गया है क्योंकि पट्टा जो जारी किया गया है वह ग्राम पंचायत के निर्णय के बिना दिनांक 05.09.2018 को जारी किया गया है। पट्टा जारी किये जाने से पूर्व कोई पट्टा फीस जमा नहीं करवाई गई जो राजस्थान पंचायती राज नियम 196 (1)(2) की अवहेलना श्रेणी में आता है। ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण हेतु दिनांक 22.05.2017 को आदेश जारी किया जाकर दिनांक 22.05.2017 को ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है जबकि उक्त रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत की जानी होती है। आज्ञाओं की सूचि हेतू निर्धारित प्रपत्र जो ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा पत्रावली में प्रस्तुत पाये गये है वह बिना तारीख के पाये गये है जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि किस दिनांक को क्या कार्यवाही की गई है, जो राजस्थान पंचायत राज नियमों के तहत बने नियम के विरूद्व है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन पट्टा संख्या 50 बुक नम्बर 414 दिनांक 05.09.2018 निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भेजी जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 28.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)